


मुख्य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

<p>क्र. नं. हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज <u>जेपली</u> बनाम <u>नन्दलाल वर्मा</u> मु. सं. 54/2020</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>19.02.25</p>	<p>आपन पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वादीगण जी बार-बार रुक-रुक कर आताय दिसाथी गयी किन्तु कोर्ट भी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी स. 1 का कागज मुकाम पेश करने के कई अवसर दिये गये किन्तु कागज मुकाम पेश नही किया गया ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वार्थिय कलम डमित बनसकते है। अतः वादीगण का वाद अदम धाजरी व अदम पेंची में स्वार्थिय किया जाता है। पत्रावली फौजल शुक्र वार कोर्ट वाद तकमील दालील दफतर है। आपदेश सुनाय गय।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी महवा (दौसा) </p>	